

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-31/2018

2961

/कृ० पटना, दिनांक 25-5-2018

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स शक्तिवर्धक हाईब्रीड सीड्स प्र० लि०, (हिसार, हरियाणा)
द्वारा- कृष्णा सीड्स, कृष्णा टॉवर, अशरफ लेन,
एस०पी० वर्मा रोड, पटना।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 40/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 24/05/2021 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापाक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापाक :- 2961

/कृ०, पटना, दिनांक 25-5-2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'
(See Clause 5)



LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 46/2018 Date 25/05/2018

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स शक्तिवर्धक हाईब्रीड सीड्स प्रा० लि० (हिसार, हरियाणा) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at द्वारा-कृष्णा सीड्स, कृष्णा टॉवर, अशरफ लेन, एस०पी० वर्मा रोड, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स शक्तिवर्धक हाईब्रीड सीड्स प्रा० लि० (हिसार, हरियाणा) मेहदीगंज लिंक रोड, रानीपुर पैजावा, गुलजारबाग, थाना नं०-14 खेसरा नं०-849, खाता नं०-384, तौजी नं०-1186	मेसर्स शक्तिवर्धक हाईब्रीड सीड्स प्रा० लि० (हिसार, हरियाणा) द्वारा-कृष्णा सीड्स, कृष्णा टॉवर, अशरफ लेन, एस०पी० वर्मा रोड, पटना
पूरब - वीर भुषण प्रसाद	पूरब - श्री अपार्टमेन्ट
पश्चिम - अमर देव साव	पश्चिम - डा० जावेद असरफ का मकान
दक्षिण - सड़क (रोड)	दक्षिण - रक्षा अपार्टमेन्ट
उत्तर - परवीन भगत	उत्तर - सरकारी रोड

Date: 25/05/2018

Seal: 09/340/वीजभंडु. 31/2018 - 2961

Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna.

Handwritten signature and date: 24-5-18

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

- The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
- The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
- This license comes into force with immediate effect and shall be valid up to 24/05/2021 (24th may 2021) Unless previously cancelled or suspended.
- The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
- The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
- Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

Handwritten signature and date: 24/05/2018

D:\sec-09\Sanjiv\Form B.docx

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स शक्तिवर्धक, हाइब्रीड सीड्स प्रा०लि०, (हिसार, हरियाण) के द्वारा
राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: २१६१

दिनांक: २५-५-२०१८

LIST OF CROP & VARIETIES

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	WHEAT	SRW-688, SRW-3738, SRW-4142,
2	MUSTARD	PARASMANI-2, PARASMANI-3, PARASMANI-8, ALBELI-1, SVJ-64, SVJ-314, KIRTI, SVJH-84, SVJH-65,
3	GUAR	KOHINOOR, X-6, X-8, X-10, SU-KOMAL
4	BAJARA	DHAMAL, MUKHIYA, YODHA, SHAKTI-1201, BALSHALI
5	MOONG	VIRAT, VIRAT SUPER, VIRAT GOLD, ABHAY, SVM-66, SVM-88,
6	PADDY	PURNIMA, PURNIMA SUPER, KANIKA, BRAHMI, CHANDERMUKHI
7	MAIZE	ALBELA(X-13), RANKER(X-8), SV-221(XX), SV-521(XX)
8	CUMIN	MOHAK
9	TIL	UJJAWAL, SVT-222
10	ARHAR	JOLLY
11	URD	VIKRAL
12	OKRA	PRASTISTHA, NO. 1001, PRATIBHA, PRERNA, PRAGYA
13	CARROT	HISAR RASILLEE, HISAR MADHUR
14	RIDGE GOURD	MEGHA, AISHWARYA
15	SPONGE GOURD	ESHA-234
16	WATERMELON	LALIMA, MUSKAN, RAJA, TEJA, MITTHU,
17	MUSKMELON	MAHAK, LAZEEZ
18	CHILLY	SHOURYA, NIRMALA, DAMINI, PRACHAND, SHAKTI, SMIRITI, AUJASVI, ALBELI-222, ALBELI-333
19	CAPSICUM	GANGA SHAKTI
20	TOMATO	SOURABH, SOURABH GOLD, NIRMAL, KANAK, GADAR, YODHA
21	BOTTLE GOURD	SHARDHA, JIMMY, VIDHI(ROUND), SVHB-LATTU(ROUND)

22	BITTER GOURD	BOSS, YASH
23	PUMPKIN	SVHP-077,
24	CORIANDER	SUGANDH,
25	TINDA	HARIT
26	SPINACH	SWARNA
27	CUCUMBER	SHEETAL, HIMANI

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2
दिनांक 30

1

Himanshu
24-5-17

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।